हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	
04/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन हा./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/05/19 को पेश हो।	
05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष हाजिर। विपक्ष अप्रार्थी सं० 4 की तामील पूर्व में व्यक्तिगत रूप से होकर लौटी है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वरवक्त बहस प्रा० पत्र विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रार्थीगण 1 ता 4 के ख० नं० 29 के उत्तरी हिस्से में अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 की जमीन व आवासीय मकानात है तथा अप्रार्थीगण 1 ता 3 की भूमि ख० नं० 186/1 ता 186/3 के पश्चिमी व उत्तरी दिशा में प्रार्थीगण की जमीन पड़ती है। प्रार्थीगण समान्त रहवासी मकानात के नजदीक होने एवं प्रार्थीगण की भूमियों व के उद्देश्य से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने स्वेच्छा से वर्षों से अदला-बदली कर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। इस आधार पर एवं दोनो पक्षो की भूमियों के समान प्रकृति तथा समान बाजार भाव के होने पर अदला-बदली को स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, जमाबन्दी, राजस्व नक्शा, राजीनामा, इकबाली जवाब, सहमति पत्र सहकाश्तकार के अवलोकन, बहस विद्वान अधिवक्ता पर गौर मनन के उपरान्त प्रार्थीगण 1 ता 4 का प्रार्थना-पत्र बाबत अदला बदली u/s 49 R.T. Act स्वीकार किया जाता है। आदेश 1. प्रार्थीगण 1 ता 4 की भूमि ख० नं० 29 तन ग्राम जैता की ढाणी प० ह० खन्दरा में हक हिस्सा 41/162 सम्पूर्ण, अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज अदला बदली से हो तथा उक्त ख० नं० के उक्त हिस्से से प्रार्थीगण 1 ता 4 का नाम हजफ किया जाता है। 2. अप्रार्थीगण 1 ता 3 की भूमि 186/1 ता 186/3	

[illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जो क्रमशः अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी ख०नं० 186/1 रकबा 0.27 है०, अप्रार्थी नं० 3 की खातेदारी भूमि ख०नं० 186/2 रकबा 0.28 है० तथा अप्रार्थी नं० 2 की खातेदारी ख०नं० 186/3 रकबा 0.28 है० कुल रकबा 0.83 है० संयुक्त रूप से प्रार्थीगण 1 ता 4 के नाम खातेदारी में अदला-बदली से दर्ज हो तथा ख०नं० 186/1 से अप्रार्थी नं० 1 का, ख०नं० 186/2 से ~~अप्रार्थी~~ सं० 3 का तथा 186/3 से अप्रार्थी नं० 2 का नाम खारिज किया जाता है। बैंक रहन मुक्ति प्रमाण पत्र पेश होने पर तथा अदला-बदली में अधिक आई भूमि 0.08 है० भूमि का नियमानुसार जमा योग्य Stamp शुल्क जमा करवा देने पर उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली ~~मिसॉक~~ फैसल शुमार हो तथा बाद तकमील दाखिल दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	27/05/2019 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner